जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./प्र.नि./अ.अ.(आर.ए.वा.) अनु:आर.ए–सी/फा /प्रे. 67 दि. 07/04/06

आदेश

विषय : ओलावृष्ठि से प्रभावित गांवो के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को फरवरी एवं मार्च, 2006 के बिजली के बिलों की राशि के भुगतान में छूट।

गत दिनों हुई ओलावृष्ठि से अनेक गांवो में फसल नष्ट हो गई थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में ओलावृष्ठि से प्रभावित गांवो को दी जाने वाली सहायता एवं अकाल राहत की गतिविधियों के बारे में दिनांक 20 मार्च, 2006 को आयोजित समीक्षा बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है :–

1. ओलावृष्ठि से प्रभावित लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की जिनकी 50 प्रतिशत से अधिक फसल खराब हुई है, उनसे माह फरवरी एवं मार्च, 2006 के विद्युत बिलों की राशि वसूल नही करनी है।
2. इसके अतिरिक्त जिन काश्तकारों ने उक्त माहों के विद्युत बिलों की राशि जमा करवादी है उस राशि को आगामी बिलों में समायोजित कर दी जाए।
3. बिलों में दी गई छूट का पुनर्भरण राज्य सरकार के आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा किया जायेगा।

इस विषय में संबंधित अधीक्षण अभियन्ता (पवस), जिला कलेक्टर (सहायता) से संपर्क कर ओलावृष्ठि से प्रभावित गांवो के लघु एवं सीमान्त काश्तकारों की ग्राम एवं उपभोक्तावार सूचना प्राप्त कर संबंधित सहायक अभियन्ताओं को उपलब्ध कराऐंगें, इस सूची के आधार पर ही संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा फरवरी एवं मार्च, 2006 के बिलों की राशि को माफ करने की कार्यवाही की जाए।

निर्णयानुसार छूट देने के पश्चात् दी गई छूट की राशि का ग्राम एवं उपभोक्तावार विवरण मुख्य लेखाधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को प्रेषित किया जाए। मुख्य लेखाधिकारी इस संबंध में उपभोक्ताओं को प्रदत्त छूट की राशि के पुनर्भरण हेतु ऊर्जा विभाग, राज्य सरकार को आवश्यक दावा (Claim) प्रेषित करेगें, ताकि राज्य सरकार से उक्त राशि का पुन:र्भरण प्राप्त किया जा सके।

यह आदेश निदेशक मंडल के अनुसमर्थन (Subject to ratification) की दशा में प्रसारित किये जाते है।

07/04/2006

(एन.एम. सिंघवी)
अधीक्षण अभियन्ता (आर.ए. एण्ड सी.)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

- ऊर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
- आयुक्त, जोधपुर/बीकानेर।
- मुख्य अभियन्ता (जोधपुर जोन/सी.पी.एम.), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।